आदेश

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम दाड़िमखेत से कन्यालीकोट तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.98है0 वन भूमि को लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार,क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्र संख्या: 08बी/यू0सी0पी0/06/59/2021/एफ0सी0/1532 दिनांक 07.03.2024 से निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृत के कम में उपजिलाधिकारी,कपकोट की आख्या दिनांक 20 फरवरी, 2025 एवं दिनांक 25 अप्रैल,2025 से जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत ग्राम दाड़िमखेत से कन्यालीकोट तक मोटर मार्ग निर्माण में प्रयुक्त 1.98है0 वन भूमि की दुगुनी 3.960है0 सिविल भूमि, जो ग्राम पोलिंग,तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर के गैर ज0वि0ख0खा0संख्या–46,श्रेणी 9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद के पैमाइशी खेत संख्या–913 रकबा 4.590है0 में गठित वन पंचायत भूमि मध्ये 3.960है0 भूमि का प्रस्ताव क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रयोजन हेतु उपलब्ध कराया गया है। प्रस्तावित भूमि में कोई धार्मिक स्थान यथा मन्दिर,मस्जिद, गुरूद्वारा व चर्च नहीं है तथा पूर्व में किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रस्तावित/चयनित नहीं किया गया है।

अतः शासनादेश संख्या: 2173/XVIII(II)/2012–18(120)/2010 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार,क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र दिनांक 07.03.2024 में निहित शर्तो के अधीन उक्तानुसार चिन्हित/प्रस्तावित कुल 3.960है0 भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्रयोजन हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर।

संख्या: 31 /छब्बीस–08वन(24–25)/2025 दिनांक 03/05/2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एंव अनुपालनार्थ प्रेषित :–

01. प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर।
02. उपजिलाधिकारी,कपकोट।
03. अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड,लोक निर्माण विभाग,कपकोट।
04. तहसीलदार,कपकोट को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का नामान्तरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक–एक प्रति मय प्रमाण–पत्र सहित वन विभाग एवं याचक विभाग को उपलब्ध करवाते हुए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को भी उपलब्ध करावें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

सहायक अभियन्ता तृतीय/वनभूमि सहायक

अधि0अभि0
/05/2025